



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

प्रार्थना पत्र संख्या – 27 / 2018

मिश्रीलाल

बनाम

काना वगै.

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.05.2018	<p>पत्रावली आज केम्प कोर्ट आलोली में पेश हुई जहां प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित है। उपस्थित प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र वास्ते पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व मूल वाद आगे नही चलाने बाबत दावा विद्रो करने हेतु पेश किया जिसे बाद स्वीकार मूल वाद में शामिल किया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी केकडी</p>	